



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 60 राँची, शुक्रवार,

18 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

4 फरवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-28/2021-1363 (HRMS)--श्री विनय कुमार, झांप्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग द्वारा दिनांक 07.09.2021 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-180843(HRMS), दिनांक 01.12.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 07.09.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है ।

2. श्री कुमार द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 24.12.2021 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है ।

3. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री कुमार द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-24.12.2021 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 24.12.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है, जहाँ ये अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	BINAY KUMAR (JHK/JAS/232)	श्री विनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को योगदान की तिथि 24.12.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया जाता है ।	24/12/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
